शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

घरेलू हिंसा का परिवार वयवस्था सिद्धान्त और उसका भारतीय परिवार व्यवस्था के सन्दर्भ में विमर्श

डॉ0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय
एसो0 प्रोफे0 एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर

सारांश

परिवार एक मूलभूत संस्था है जिसमें अभिमुखन से लेकर प्रजनन एवं प्रजनन से लेकर अभिमुखन की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है यही वह संस्था है जिससे सामाजिक व्यवस्था निरन्तर रूप से स्थायी है तथा पशुगत व्यवहार को सामाजिक अन्तःक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार के रूप में रूपान्तरित करता रहता है यह संस्था एक नये प्राणी को अपनेपन एवं आत्मीयता से युक्त व्यवस्था देता है जहाँ पर एक निष्क्रिय एवं विकलांग भी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। यह संस्था सामाजीकरण के प्रक्रिया से शिशु को वह सभी मानक प्रदान करता है जिसे सीखकर वह समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है एवं परिवार के संस्कारों तथा प्रतिमानों को अगले पीढ़ी में हस्तान्तरित करता है। घरेलू हिंसा का परिवार व्यवस्था सिद्धानत इस अन्तःक्रिया को हिंसा का साधन मानता है। इसी परिप्रेक्ष्य के विरूद्ध इस शोध पत्र के माध्यम से भारतीय परिवार व्यवस्था के सन्दर्भ में निरूपण करेंगे जिसमें आनुभाविक अध्ययन की चर्चा होगी।

महत्वपूर्ण शब्द : *अन्तःक्रिया, परिवार, भारतीय समाज, महत्वपूर्ण अन्य, सामजीकरण, परिवारिक आर्थिक नीति, निजी एवं सार्वजनिक, हिंसा, उत्पीड़न, सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था, वैवाहिक हिंसा।*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः
डॉ0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, ''*घरेलू हिंसा का परिवार वयवस्था सिद्धान्त और उसका भारतीय परिवार व्यवस्था के सन्दर्भ में विमर्श*'',
शोध मंथन,
सितम्बर 2017,
पेज सं0 1–6
http://anubooks.com/?page_id=581
Artcile No.1(SM 439)

सिद्धान्त का परिचयः–

1960 एवं 1970 के मध्य जब महिला अस्मिता एवं पहचान के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उसी समय परिवार के आर्थिक नीति एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर भी ध्यान में वृद्धि होने लगी जिसके परिणाम स्वरूप परिवार एक संस्था के रूप में निजी एवं सार्वजनिक रूप से बहस का मुद्दा बना (Fagan, 1988) इसके साथ–साथ चिकित्सा एवं समाजशास्त्र में 1960 के मध्य बाल शोषण की अवधारणा भी चर्चा का विषय बना इस क्रम में यह कहा गया कि परिवार अथवा घर अहिंसक अथवा सुरक्षित आवश्यक रूप से नही हैं (Loske, 1989) 1980 के प्रारम्भ में बहुत से विद्वान और शोधार्थी घरेलू हिंसा पर अपना ध्यान परिवार समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से करने लगे। यह सैद्धान्तिक अभिमुखन परिवार संरचना पर बल देता है। परिणामस्वरूप परिवार हिंसा परिप्रेक्ष्य बल देता है कि घरेलू हिंसा अथवा पति दुरूपयोग पारिवारिक हिंसा का एक स्वरूप है परिवार हिंसा का दूसरे स्वरूप में सम्मिलित है– बाल शोषण, स्वजन शोषण और माता–पिता शोषण आदि। विद्वानों द्वारा परिवार हिंसा परिप्रेक्ष्य के अन्य शब्दावली प्रयोग किये गये जिसमें मुख्य रूप से– "Spouse Spouse", "Marital Violence", "Conjugal Violence" and "Family Violence."

यह सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में बल देता है कि दाम्पत्य शोषण का मुख्य कारण समकालीन परिवार संस्था में निहित है दूसरे शब्दों में, परिवार अद्वितीय गुणों से युक्त सामाजिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था है जो कि हिंसा के लिए एक उपजाऊ मैदान तैयार करता है। उदाहरण स्वरूप परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अधिकतम समय व्यतीत करते हैं एक दूसरे के साथ सम्मिलन तीव्र होती है। परिवार के सदस्य एक दूसरें की कमी, गल्तियों से परिचित होते है, परिवार की सदस्यता स्वैच्छिक नहीं होती है और परिवार के मामलें निजी होते है तथा इसलिए परिवार में व्यवहार के सामाजिक नियन्त्रण का अभाव होता है। यह सभी विशेषताएं परिवार के अन्दर हिंसा के रूप में छिपी रूप में बजती रहती है। (Gelles, 1993) परिवार व्यवस्था प्रतिरूप व्यक्तिगत समस्या व्यवहारों को दुष्प्रकार्यात्मक पारिवारिक इकाई का प्रकटीकरण मानते हैं परिवार के एक दूसरे सदस्य समस्याओं में योगदान करते है। यह बिना ज्ञात किये कि एक सदस्य की व्यक्तिगत समस्या क्या है? इस सदस्य की समस्या को दूर न करके उसके प्रति हिंसा का प्रयोग करते है। परिवार व्यवस्था के अनुसार (अथवा अन्तःक्रियात्मक) माडल के अनुसार (Giles-Sims, 1983) इस सिद्धान्त के अनुसार, पत्नी और पति दोनों संघर्षो को गति देते है, एक दूसरे पर प्रभावी होने के लिए वे निरन्तर प्रयास करते हैं। परिवार व्यवस्था सिद्धान्तकारों का मानना है कि अधिकाधिक हिंसा, शोषण या दुरूपयोग मौखिक और भावनात्मक होता है किन्तु संघर्ष बदले के रूप में, कोई एक पार्टनर संघर्ष का सहारा लेता है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार, अन्तःक्रिया हिंसा को उत्पन्न करती है कोई एक अपराधी या पीड़ित के रूप में विचार नहीं किया जाता यहाँ तक कि कोई एक व्यक्ति शारीरिक रूप से हिंसक भी क्यों न हों। परिवार व्यवस्था सिद्धान्त यह भी सुझाव देता है कि अन्तःक्रियाएं एक व्यक्ति में गाली–गलौज व्यवहारों को या तो अनुमति देता है या सुविधा प्रदान करता है इस प्रकार, सीधे–सादे माता–पिता, बच्चों के गाली–गलौज व्यवहार

को नियन्त्रित नहीं कर पाते है अथवा हस्तक्षेप करने में असफल हो जाते है एक दूसरे के प्रति व्यवहार के मानकों या सीमांकनों को निर्धारित करने में भी परिवार असफल हो जाता है।

परिवार व्यवस्था सिद्धानत समूह के सदस्यों के बीच अन्तःक्रिया के माध्यम से व्यवहार के कारणों का खोज करता है। परिवार के सभी अंग अन्त सम्बन्धित होते है परिवार के अपने स्वयं के गुण होते है जिसे परिवार के सदस्यों के सम्बन्धों एवं अन्तःक्रियाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। इस सिद्धान्त के कुछ नियम होते है जो निम्न है (Allen, 2007)

• व्यक्तिगत लक्षणों एवं सांस्कषतिक एवं वैचारिक शैलियों में अनन्त भिन्नताओं के कारण प्रत्येक परिवार अद्वितीय है।

• परिवार एक अन्तःक्रियात्मक व्यवस्था है जिसके जोड़ने वाले अंग परिवर्तन में या तो बाधक भी हो सकते है या साधक भी हो सकते हैं।

• परिवार प्रत्येक सदस्यों के विभिन्न प्रकार के प्रकार्यो को पूरा करते है दोनों सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनो। यदि प्रत्येक सदस्य वृद्धि अथवा विकास करता है।

• परिवार विकासात्मक और गैर विकासात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं जो विभिन्न प्रकार के दबावों को उत्पन्न करते है तथा सदस्यों पर इसका प्रभाव डालते हैं (Alleen, 2007)

शोध प्रविधिः–

यह शोध पत्र परिवार व्यवस्था सिद्धान्त का निरूपण है जो घरेलू हिंसा का मूल कारण निकट अन्तःक्रिया को मानता है इसलिए इस सिद्धान्त को ऐतिहासिक एवं व्यवहारिक रूप से परीक्षण के लिए वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया। वेदकालीन इतिहास का वर्णन करते हुए 25 निम्न मध्यम वर्ग एवं 25 मध्यम वर्ग के परिवारों का अध्ययन किया गया तथा परिवार व्यवस्था के सिद्धान्त के अनुसार उनसे प्रश्न भी पूँछे गये। यह अध्ययन कानपुर नगर पर केन्द्रित रहा। इसका विश्लेषण परिवारों के संख्या के अनुसार पर आधारित है तथा उन परिवारों के प्रमुख सदस्यों से प्रश्न पूँछे गये। निम्न मध्यम वर्ग जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम एवं मध्यम वर्ग 5 लाख, 12 लाख आय तक निर्धारित की गयी एवं उसके अनुसार 25–25 परिवारों का अध्ययन किया गया।

परिणामों का विचार विमर्श (भारतीय परिवार के संदर्भ में):–

भारतीय परिवार के सन्दर्भ में स्त्री एवं पुरूष सृष्टि रचना के माध्यम हैं। इस दायित्व के निर्वाह (भूमिका निष्पादन) और जीवन यात्रा समुखमय एवं सफल बनाने के लिए इस सम्बन्ध को विवाह रूपी संस्था के द्वारा उन्हें सहयात्री, सहधर्मी, अर्धागिनी और सहकर्मी के रूप में सामाजिक मान्यता दी गई।

यह मन, कर्म और वचन से एक होकर निष्ठा पूर्वक एक छत के नीचे जीवन निर्वाह करने लगे। यह सामान्य स्वीकषति सुख सम्पत्ति, सुरक्षा, जैविक सन्तुष्टि और मूलभूत आवश्यकताओं की सन्तुष्टि सुरक्षा मात्र के लिए नहीं थी, इसका मूल कारण तथा दूसरे के सहयोग से अपने धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति और कर्म के द्वारा जीवन की सार्थकता के साथ–साथ सामाजिक

सम्बन्धों को अर्थयुक्त बनाना। दोनों की आवश्यकताओं, अपेक्षाये एवं व्यवहार भिन्न होकर भी वे परिवार के लिए समान रूप से प्रकार्यात्मक अपरिहार्य माना गया। स्त्री तो परिवार निर्माण की प्रधान शिल्पी मानी गई। जन्मदायिनी एवं शिशु की पालन–पोषणकर्ता एवं सामाजीकरण के मूल में होने के कारण यह पूज्य, आदर्श, नैतिक प्रस्थिति पुँज एवं ''महत्वपूर्ण अन्य'' बन गई।

पिता की भूमिका घर में अनुशासन बनाये रखने, समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान की दृष्टि से अपने व्यवहार का निरूपण करना तथा व्यवसाय एवं परिश्रम करके घर की आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना सामान्य हो गया। घर में श्रम विभाजन एवं श्रम सहयोग के सामंजस्य से परिवार के अन्य आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं भूमिका के रूप में स्थापित हो गयी। पिता की भूमिका एवं माता की भूमिका अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक में परिलक्षित हुई। माता–पिता असहनीय समस्याओं और कष्टों का सामना करते हुए सन्तानों के मूलभूत, व्युत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्पण भाव से भूमिका निभाते है। परिवार ही व्यक्तित्व निर्माण की मूलभूत एवं प्रथम संस्था है जिससे उनमें जन्म लेने वाले प्रत्येक सदस्यों, जो प्रथमतया विसामाजिक होते है उन्हें सामाजीकरण के विभिन्न चरणों में सामाजिक बनाता है और वह सदस्य समाज का सक्रिय अंग बनकर परिवार, समाज एवं राष्ट्र को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाता है।

उपरोक्त सन्दर्भो को दषष्टिगत रखते हुए निम्न मध्यम वर्ग के 25 परिवारिक सदस्यों से प्रश्न पूँछा गया जिसमें 22 परिवारों के सदस्यों ने आत्मीयता, लगाव और हम की भावना से परिवार के प्रकार्यो का उल्लेख किया और आपसी अन्तःक्रिया को सम्बन्ध मजबूत करने का आवश्यक प्रक्रिया माना तथा माता–पिता को अपने विकास और वृद्धि में प्रमुख भूमिका माना, 3 परिवारों में सामंजस्य की कमी पायी गयी परन्तु परिवार में संवादहीनता को ही इसका दोष माना, मध्यम वर्ग के परिवारों के अध्ययन में यह पाया गया कि उनके माता–पिता का अनुशासन एवं नियन्त्रण प्रभावी है (20 परिवार) तथा उनके सफलता एवं विकास में अधिकतम योगदान माता–पिता का है हालांकि अपने उद्देश्यों के प्रप्ति समर्पण एवं परिश्रम को भी महत्वपूर्ण बताया 05 परिवार के सदस्यों ने माना कि उनके माता–पिता के पास समय के अभाव एवं अन्तःक्रिया की न्यूनता के कारण उनको आत्मीयता एवं भावनात्मक संतुष्टि नहीं मिल पायी उन्होंने अन्तःक्रिया एवं गहन सामाजिक सम्बन्धों के व्यक्तित्व एवं कैरियर के विकास में महत्वपूर्ण माना। 20 परिवार के सदस्यों एवं माता–पिता ने माना कि पूर्ण अन्तःक्रिया एवं संवाद से एक दूसरे के स्थिति एवं मनोभावनाओं का पता चलता है एवं उन्हें ध्यान देकर समस्या का समाधान निकालने में आसानी होती है तथा पारिवारिक नियन्त्रण एवं अनुशासन बनी रहती है। 5 परिवार के सदस्यों ने माना कि वस्तुस्थिति पता न होने के कारण प्रायः घर के सदस्य ऊँची आवाज में बोलकर अपना कार्य सिद्ध करवाना चाहते है एवं प्रभावी होना चाहते है हालांकि बाद में अन्तःक्रिया की गहनता ही समस्या के समाधान में अपनी प्रभावी भूमिका निभाती है 5 परिवार के सदस्यों ने अपने कैरियर को प्रधानता दी एवं माता–पिता के भूमिका को उनका कर्तव्य माना। हालांकि सभी 25 परिवार के सदस्यों ने परिवार के अपरिहार्यता को स्वीकारते हुए इसकी अभिमुमुखन एवं प्रजनन की भूमिका को

संस्थागत रूप से आवश्यक माना। 18 परिवार के सदस्यों ने प्रकार्यात्मक एकता को स्वीकार किया तथा 7 परिवार के सदस्यों ने श्रम विभाजन की विशिष्टता को महत्व दिया। 20 परिवार के सदस्यों ने आत्मीयता, भावनात्मकता, पारिवारिक कर्तव्यता, बड़ो को सम्मान, पूर्ण संवाद के प्रमुख रूप से स्वीकारा तथा शेष 5 परिवार के सदस्यों ने इसकी आवश्यकता को हालांकि स्वीकार किया परन्तु व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान दिया तथा परिवार के अध्याधिक हस्तक्षेप को अनुचित माना।

निष्कर्ष:–

परिवार व्यवस्था के सिद्धान्त जहाँ पर अन्तःक्रिया एवं सम्बन्धों की घनिष्टता को हिंसा का कारण माना वहीं पर अध्ययन से पता चलता है कि पारिवारिक सम्बन्ध–आत्मीयता, लगाव, सामन्जस्य, गहन अन्तःक्रिया एवं सम्बन्धों की तीव्रता का परिणाम है। अन्तःक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है यह परिवार में घनिष्ट सम्बन्ध आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य भी है। विचारो, लक्षणों एवं गुणों के विभिन्नता के बाद भी अन्तःक्रिया वह साधन है जिससे लोगों में निकटता आती है। एक दूसरे के समस्याओं के समाधान में प्रत्येक सदस्य योगदान देते है तथा सफलता एवं विकास में अपनी अपनी भूमिका निभाते है हालांकि कुछ परिवार के सदस्यों ने अत्यधिक हस्तक्षेप को अनुचित माना परन्तु परिवार में अन्तःक्रिया की गहनता को आवश्यक भी माना। अन्तःक्रिया के माध्यम से अनुशासन एवं नियन्त्रण को अधिकतम परिवार के सदस्यों ने स्वीकारा। इससे यह प्रतीत होता है कि अन्तःक्रिया हिंसा का साधन न होकर परिवार में निकटता एवं आत्मीयता का प्रमुख साधन है। माता–पिता सन्तानों के लिए ''महत्वपूर्ण अन्य'' है एवं सन्तान अपने व्यवहारों की स्वीकृति सर्वप्रथम माता–पिता एवं अन्य बड़े सदस्यों से चाहते हैं। आपस में स्नेह एवं सम्मान परिवार में ही मिलता है वहीं व्यक्तित्व की स्थायित्व देता है और व्यवहार को सुदष्ढ़ करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि घरेलू हिंसा का परिवार व्यवस्था सिद्धान्त केवल नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है एवं भारतीय परिवार के सम्बन्ध में परिवार के प्रकार्य को समझ पाने में असफल है।

REFERENCES

- Singh, A.K. et.al. (Ed.) (2013), Gender Violence in India, Rashtriya Bal Vikas Prakashan, New Delhi.
- Singh, A & Pandey, S.P., (2009) Domestic Violence Against Women and Role of PWDV Act, 2006 IN Domestic Violence Against Women in India, Edited by Singh, A.K., et.al. Madhav Books, Gurgaon. Violence in India: Scope and Limitations, Springer Science.
- IIPS (2007), National Family Health Survey-Ill, International Institute of Population Sciences, Mumbai.
- Nagla, B.K., Women As Victims of Crime: A Sociological Analysis In C.M. Agrawal (Ed.) Dimensions of Indian Womanhood, Sri Almora Book, Almora, 1993.

- Nigam, Shalu, (2008) Domestic Violence in India: What One Should Know?, WE The People Trust, New Delhi.
- Omvedt, G., Violence Against Women - New Movements And New Theories In India, Kali For Women, New Delhi, 1990.
- Pandey, J.S.P. (2013). Gender Violence in India: 15 days, An International Research refereed Journal, Volume 50, 30 August 2013 (ISSN 2249-650X), page no. 54-62.
- Pandey J.S.P. (2015). Domestic Violence against Women Introduction and theories. Abhinav Gaveshana Quarterly International Journal Volume 1, Year 1, April 2015, ISSN 2394-4366, page no. 158-162.
- Pandey, J.S.P. (2017). Crime Against Women in India: Its Dimensions. *Shodh Prerak*, (ISSN 2231-413X), Vol. VII, Issue 1, January 2017, Page 233-240.